संख्या– 4430 /II–2004 यू0ओ0 (21)/2004

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 27 नवम्बर, /2004

विषयः– जनपद देहरादून के विकासनगर विकास खण्ड, के अन्तर्गत पृथ्वीपुर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना पर धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 554/नौ–1–सिं0 (55 बजट)/04 दिनांक 10.02.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए इसके द्वारा पृथ्वीपुर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना के लिए रू0 507.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी,जिसके विपरीत उक्त वित्तीय वर्ष में रू0 83.27 लाख की धनराशि व्यय कर लिया गया था इस योजना के लिए रू0 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत रू0 507.80 लाख में से व्यय की गयी धनरशि रू0 83.27 लाख के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में आहरित नहीं किया गया है।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

5– स्वीकृत की गयी धनराशि के पूर्ण उपभोग का एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अन्तिम किस्त अवमुक्त की जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमश.....2

7– अब उक्त पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विपरीत उक्त व्यय की स्वीकृति के उपरान्त रू0 212.92 लाख की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष रहेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा और पूर्व स्वीकृत रू0 80.00 लाख धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

9– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– भागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय, 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक, 142–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें, 91–निर्माणाधीन सिंचाई योजनायें/अन्य योजनायें, 24–बृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1645 वि0अनु–3/2004 दिनांक, 22 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या– 4430 /II–2004 यू0ओ0 (21)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी /जिलाधिकारी देहरादून।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।